

970/8W

By Speed Post
RTI MATTER
(to be issued in Hindi)

No. VI.23014/430/2013-VS
Government of India
Ministry of Home Affairs
(PP Division)

NDCC-II Building, 3rd Floor,
Jai Singh Road,
New Delhi-110001, dated: 1st January, 2014

To

Dr. Rabindra Shukla,
Shuklapuri,
Gajraula,
Amroha (Uttar Pradesh).


Subject:- RTI application under the RTI Act-2005-reg.

Sir,

Please refer to your RTI application dated 03.12.2013 received in this unit on transfer on 26.12.2013.


2. The information sought by you does not concern your life or liberty, hence, the information sought does not come under the purview of Section 7(1) of the RTI Act-2005.
3. This unit is concerned only with point No.(3) of your application.
4. In this regard, it is stated that the security to an individual is provided on the basis of comprehensive threat assessment carried out by the Security Agencies. Further details in this regard are exempted under Section 8(1)(g) and 24(1) of the RTI Act-2005.
5. A copy of your RTI application is being transferred under Section 6(3) of the RTI Act, 2005 to Delhi Police and Cabinet Secretariat for providing information available with them, if any, with reference to points (1) and (2) of your application.
6. An appeal if any, against this reply may be made within 30 days to Shri Lokesh Jha, Joint Secretary (PP & VS) & Appellate Authority, Ministry of Home Affairs, 3rd Floor, NDCC-II Building, Jai Singh Road, New Delhi-110001.

Yours faithfully,


(Girish Kumar)
Director (VS) & CPIO
Tele:23438120
Fax:011-23438077

No. RTI/MAHEKA/2013

(Registered)



26

सेवा में,
जन सूचना अधिकारी,
ग्रह मंत्रालय,
भारत वर्ष, नई दिल्ली।

7-11-13/RTI/04
12/12/2013

विषय: RTI Act-2005 के अन्तर्गत जीवन की रक्षा हेतु 48 घण्टे में सूचनायें देने के सम्बन्ध में।

महोदय,
उपर्युक्त विषय में आपसे निम्न सूचनाये चाहिये, जिसके शुल्क के रूप में रु0 10/- का पोस्टल आर्डर नं0...14.F.28.55.63 संलग्न है।

प्र01 माननीय स्व0 श्रीमती इंदिरा गॉधी जी, मा0 पूर्व प्रधानमंत्री भारतवर्ष के कौन-कौन से परिवारजनों को सुरक्षा श्रेणी "एस0पी0जी0", "एन0एस0जी0" व अन्य सुरक्षा श्रेणी जब श्रीमती इंदिरा गॉधी प्रधानमंत्री बनी तब से वर्ष 2013 तक उपलब्ध करायी गयी है। बताया जाये।

प्र02 (I) मा0 स्व0 इंदिरा गॉधी जी, मा0 पूर्व प्रधानमंत्री भारतवर्ष के पुत्र स्व0 श्री संजय गॉधी जी की पत्नी मा0 श्रीमती मेनका संजय गॉधी, माँ0 सांसद महोदय क्या पूर्व प्रधानमंत्री जी की परिवार की सदस्य श्रेणी में आती हैं या नहीं। बताया जाये।

Dob (VS)
P100

(II) यदि हाँ तो श्रीमती मेनका संजय गॉधी जी मा0 सांसद महोदय को प्रदत्त सुरक्षण श्रेणी बतायी जाये।

(III) मा0 श्रीमती मेनका संजय गॉधी जी मा0 सांसद महोदय को एस0पी0जी0 (स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप) सुरक्षा श्रेणी नियमानुसार उपलब्ध होनी चाहिए थी या नहीं। नियमानुसार कारण सहित सूचनायें देने का कष्ट करें।

(IV) सुरक्षी श्रेणी "एस0पी0जी0" को नियमानुसार किन्हें देने का प्रावधान है। मा0 श्रीमती मेनका संजय गॉधी मा0 सांसद महोदय क्या उक्त श्रेणी में आती हैं या नहीं। कारणों सहित सूचनायें दी जाये।

प्र03 मा0 श्रीमती मेनका संजय गॉधी जी मा0 सांसद महोदय को क्या हाई कोर किमिनल्स, पशु तस्करों, मौस माफियाओं, बालू खनन माफियाओं, वन्य जीव अपराधियों, वन्य जीव अपराध में सक्रिय "इंडियन मुजाहिदीन" आतंकवादी संगठन से जीवन को खतरा है (या) नहीं बताया जाये।

Sh. H

दिनांक: 03/12/2013

रवदीय SHUKLA

डा0 रविन्द्र शुक्ला(एडवोकेट)
कैम्प कार्यालय-शुक्लपुरी गजरौला
(अमरोहा) माँ0 09917706033

रवदीय
P.c. 244235